

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/पार्ट-1/एफ.20278/जोन-उदयपुर/2024/279 दिनांक : 02/04/2024

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कार्मिकों को राज्य सेवा में 09 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर उनके नामों के सम्मुख अंकितानुसार एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	पे मेट्रिक्स लेवल
1.	श्रीमती वैशाली, कनिष्ठ सहायक	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय, नाथद्वारा।	29.10.2014	09 वर्ष	29.10.2023	एल-08
2.	श्री पराग शर्मा, कनिष्ठ सहायक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बासंवाडा।	22.12.2014	09 वर्ष	22.12.2023	एल-08

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर
दिनांक : 02/04/2024

क्रमांक :- ई-18/एम/पार्ट-1/एफ.20278/जोन-उदयपुर/2024/279
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बासंवाडा।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय, नाथद्वारा।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
4. संबंधित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

Signature valid



Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2024.03.29 08:00:57 IST
Reason: Approved